OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE RAJ JAIPUR

V-15(6)PS/SAMGRI/MPF/2025-26/ 9827 DATED-24.07.2025

NOTICE INVITING BIDS

NIB NO. POL2526A0018

Bids for Many Item's of estimated value INR 29,40,000/- are invited from interested bidders up to 06.08.2025 at 11.00 am. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in) (https://sppp.rajasthan.gov.in/) of the state, and https://www.police.rajasthan.gov.in

UBN.

CDR/IPDR Analysis System P-Cap data analysis and highend hardware	POL2526GLOB00068
Hard Disk Extraction (Partition Software)	POL2526GSOB00069
Digital Evidence Seizure Kit	POL2526GSOB00070

Supdt. of Police
Central Stores, PHQ
Raj. Jaipur
Tel- 0141-2744289
Mail ID-sp.cstore.pmw@rajpolice.gov.in

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांक-वी.15(6)पीएस/सामग्री/एमपीएफ/25-26/ 9840 दिनांक:- 25/7/2025

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-ई-बोली आमंत्रण सूचना प्रकाशित किये जाने हेतु।

महोदय,

विषयान्तर्गत इस कार्यालय की ई-बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक 9827 दिनांक 24.07.2025 महत्वपूर्ण शर्तो के साथ 8 प्रतियों में संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया ई-बोली आमंत्रण को निम्नानुसार प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने एवं आपकी वेब साईट पर भी अपलोड करने का श्रम करावे। यह ई-बोली आमंत्रण सूचना एसपीपी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। सम्मिलित वस्तुओं के UBN No. निम्नानुसार है-

क.सं.	वस्तु का नाम	UBN No.
1	CDR/IPDR Analysis System P-Cap data analysis and highend hardware	POL2526GLOB00068
2	Hard Disk Extraction (Partition Software)	POL2526GSOB00069
3	Digital Evidence Seizure Kit	POL2526GSOB00070

प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों का विवरण-

1. इण्डियन ट्रेड जरनल -
2. अखिल भारतीय स्तर, का समाचार पत्र -
3. क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र -

भवदीय,

25/07/25

पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि-

1. पुलिस कमिश्नर जयपुर/ जोधपुर को ई-बोली आमंत्रण की प्रति भेजकर निवेदन है कि इसे आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करवाने का श्रम करें।
2. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान, को ई-बोली आमंत्रण की प्रति भेजकर निवेदन है कि इसे आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करवाने का श्रम करें।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान को ई-बोली आमंत्रण की प्रति भेजकर निवेदन है कि इसे आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करवाने का श्रम करें।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर को ई-बोली आमंत्रण की पांच प्रतियों सहित।
4. सयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), सी.आई.डी. (अपराध शाखा) पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को मय ई-बोली आमंत्रण का सैट उपरोक्तानुसार शीघ्र प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित है।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर को ई-बोली आमंत्रण की प्रति भेजकर लेख है कि इसे RTPP Portal/विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करने का श्रम करें।

पुलिस अधीक्षक
केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक-वी.15(6)पीएस/सामग्री/एमपीएफ/25-26/ 9827 दिनांक:-24.07.25

ई–बोली आमंत्रण सूचना

विभिन्न वस्तुओं के प्रदाय (supply) हेतु ई–बोली (e-Bid) आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 26.07.2025 को समय 11.00 बजे से वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड प्रारम्भ किया जा सकेगा। आईटमों की ई–बोली दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 011.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाईट पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

बोली की क्वालिफाईड बिड दिनांक 06.08.2025 को समय 01.00 पी.एम पर खोली जानी प्रस्तावित है।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी एक ही चालान से ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से या नगद, बैंकर चैक या डीडी के माध्यम से जमा करवाये जा सकते है एवं अनुसूचित बैंक में विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी के माध्यम से भी जमा करा सकते है। (RTPP Rule 42(6)) वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रकिया दी गई है। वित्त (जी एण्ड टी) विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 27.01.2023 अनुसार संशोधित RISL प्रोसेसिंग फीस जमा कराया जाना अनिवार्य है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तों एवं तत्सम्बंधी अन्य विवरण को वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट http://www.police.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है।

क्र.सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित कीमत	बोली प्रतिभूति (रूपयों में)	सप्लाई अवधि (दिनों में)
1	CDR/IPDR Analysis System P-Cap data analysis and highend hardware	2	2600000	52000	30 Days
2	Hard Disk Extraction (Partition Software)	1	40000	800	30 Days
3	Digital Evidence Seizure Kit	1	300000	6000	30 Days

नोटः–

1. बजट की उपलब्धता के अनुरूप आईटमों की संख्या में कमी या वृद्वि की जा सकेगी।
2. **बोली में चाहे गये समस्त दस्तावेज ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर बोली के साथ स्केन कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।**

24/07/25

पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय का नाम	केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर
अनुमानित मात्रा / संख्या	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार।
कुल अनुमानित कीमत	₹. 29,40,000/-
बोली प्रतिभूति राशि	₹. 58,800/-
सप्लाई अवधि	बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि	दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक
बोली खुलने की तिथि	दिनांक 06.08.2025 को दोपहर 01.00 बजे

संलग्नः–बोली आमंत्रण सूचना संख्या :– .... दिनांक .....

24/7/25

पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय भण्डार,पुलिस मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

(bid) की मुख्य शर्तें :–

The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" (hereinafter called the Act)and the "Rajasthan Public Proocurment Rule 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Proocurment Portal http:/sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this bidding document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

1. **शुल्क (fee)–**

(अ) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Document, Processing Fees & Bid Security Fees) शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020, 09.07.2020 एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के आदेश दिनांक 27.01.2023 के अनुसार निम्नानुसार दी जायेगी।

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	किसके पक्ष में (In favour of)
बोली प्रपत्र शुल्क	रु. 500	महानिदेशक पुलिस, राजस्थान (DGP Rajasthan)
प्रोसेसिंग फीस	रू. 50.00 लाख तक रु. 500	एम.डी, आर.आई.एस.एल (MD RISL)
	रू. 50.00 लाख से अधिक एवं एक करोड तक 1500/– प्रति बोली एवं प्रति बोलीदाता	
	रू. 01.00 करोड से अधिक एवं पॉच करोड तक 2000/– प्रति बोली एवं प्रति बोलीदाता	
	रू. 05.00 करोड से अधिक तक 2500/– प्रति बोली एवं प्रति बोलीदाता	
बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	बोली की कुल अनुमानित राशि का 2% बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार	महानिदेशक पुलिस, राजस्थान (DGP Rajasthan)

(ब) वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के आदेश दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से या नगद, बैंकर चैक या डीडी के माध्यम से जमा करवाये जा सकते है एवं अनुसूचित

बैक में विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी के माध्यम से भी जमा करा सकते है। (RTPP Rule 42(6)) वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई–ग्रास पोर्टल पर ऑनलाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रकिया दी गई है। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क को किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

2. पात्रता (eligibility)-

(i) बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई–बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वैबसाईट http:// www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II व Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाएगी बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट– 'द' (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन कर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

(iii) भारत सरकार गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण विभाग के पत्र दिनांक 25.02.2022 की बोलीदाता को पालना करना अनिवार्य होगा, जिसमें Director General of Foreign Trade (DGFT) द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित/निषेशाध्यक (Restricted/Negative) उपाप्त आईटम वर्णित है । जिनके लिए DGFT से NOC लिया जाना वांछित है।

3. अनुभव (experience)-

बोलीदाता को बोली में अंकित आईटम या इस तरह के आईटमों का किसी सरकारी विभाग/उपक्रम में विगत पांच वर्षों में आईटमों की अनुमानित बोली राशि का किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 25% राशि के आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप संबंधित विभाग से जारी संतोषजनक कार्य संपादन एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

बोलीदाता फर्म (Bidder) जिसे निर्माता फर्म द्वारा बोलीदत्त आईटम के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का विगत पांच वर्षों में किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर बोलीदत्त आईटम के अनुमानित बोली राशि के बराबर राशि का होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबधित वर्ष की बैंलेंस शीट एवं लाभ–हानि खाता जो चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाईन स्केन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

9/24/2025

अथवा

मूल निर्माता की स्थिति में विगत पांच वर्षों में से कम से कम किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर (annual turn over) बोलीदत आईटम के अनुमानित बोली राशि का कम से कम पांच गुना होना चाहिए। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबधित वर्ष की बैंलेंस शीट एवं लाभ–हानि खाता जो चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाईन स्केन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) किसी वस्तु के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में संतोषजनक लेनदेन होने की पुष्टि ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. <u>सैम्पल (sample)-</u>

(i) जिन आईटमों के सैम्पल चाहे गये हैं उनके बोलीदाता द्वारा बोली के साथ एक नग/जोड़ा/सैट सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित नहीं होने पर भी कार्यालय द्वारा किसी भी स्टेज पर सैम्पल की मांग की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इस हेतु सूचित करने पर सैम्पल उपरोक्तानुसार सील कर प्रस्तुत करने होंगे।

(iii) विभागीय उपापन (procurement) समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जॉच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जॉच कराई जाती है तो जॉच शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो सैम्पल की जॉच के उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा। यदि बोलीदाता जॉच शुल्क जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि में से जॉच शुल्क राशि काट ली जाएगी।

5. दस्तावेज (document)-

(i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं GSTR/GSTR चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी (इस संबंध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 2 देखें)।

(ii) समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।

(iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमाकराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

(iv) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक–'ब' की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में उसके आगे की प्रक्रिया (stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

(v) बोलीदाता द्वारा बैंक खाते की सम्पूर्ण जानकारी; मय दस्तावेज जिसमें भुगतान किया जावेगा; यथा बैंक का नाम, ब्रांच का नाम एवं कोड तथा IFSC Code

7/24/25

सहित विवरण एवं कैन्सिंल चैक की स्केन कॉपी बोली के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

यदि सप्लाई के विरूद्व भुगतान किए जाने से पूर्व बोलीदाता द्वारा बैंक खाता/बैंक शाखा/IFSC Code में बदलाव चाहा जाएगा तो प्रोपराईटर/बोलीदाता द्वारा रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर मय सील के पूर्ण विवरण सहित उपापन संस्था को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसके फलस्वरूप विभागीय क्रय समिति के अनुमोदन उपरान्त परिवर्तित बैंक विवरण अनुसार भुगतान किया जावेगा ।

6. वैधता (validity)–

बोली की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

7. अन्य शर्त (other condition)–

(i) उपरोक्तांकित शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक–अ, ब,स में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ii) बोलीदाता को बोली के साथ भारत/राजस्थान में स्थित अपने सर्विस सेन्टरों की सूचना भी स्कैन कर उपलब्ध करवानी होगी।

(iii) निर्माता फर्म का भारत में कार्यालय होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण स्वरूप दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा।

(iv) ई–निविदा में ऑनलाईन स्कैन कर उपलब्ध करवाये गए दस्तावेज ही स्वीकार्य होंगे। भौतिक रूप से बाद में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। RTPP Rules के अनुसार बोली कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

(v) प्राधिकृत डीलर के रूप में प्रस्तुत करने पर बोलीदाता फर्म को निर्माता फर्म का आईटम निर्माण का पंजीयन प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

8. राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षणः–

(i) किसी भी आरक्षित वस्तु की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होगा।

(ii) उक्त उधमियों को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) फर्मों को बोलीओं के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि कुल बोली राशि का 2% निर्धारित तरिके से जमा करानी होगी विभाग जो राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी कम्पनीज/ऐसी कम्पनीज या संस्था जो राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित हो, उनसे बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर घोषणा पत्र लिया जायेगा। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार

12/4/25

मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की 0.5% राशि निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II) प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। लघु उधोग इकाई के अलावा अन्य बीमार उधोग के लिए बोली प्रतिभूति राशि कुल बोली राशि का 1% होगी ।

(iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(v) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन (Procurement) हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवंक्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप'A' में महाप्रबधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II (EM-II) एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रकिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस कम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(vii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमो के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

(viii) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।

9. **सामान्य सूचना (General information)–**

(i) यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (substitute) किसी उपापन (procurement) संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रकिया या उपापन संविदा में समपहृत (Forefeit) लिया गया है तो बोली लगाने वाले

कोयउपापन (procurement) संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रकिया में भाग लेने सेए तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (debar) किया जा सकेगा।

(ii) विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब स, द एवं इ तथा अनुलग्नक (Annexure)-अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

(iii) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद भी विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रकियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, Rajasthan Transparency in Puplic Procurement Rules, 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(iv) विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (आयोजना एवं आधुनिकीकरण) राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकेंगें।

(v) सम्पूर्ण बोली प्रकिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

(vi) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे।

(vii) बजट की उपलब्धता के अनुरूप कय किये जाने वाली प्रदाय सामग्री की मात्रा में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त ड्रोप (Drop) भी की जा सकेगी।

(viii) सप्लाई किये गये उपकरणों को पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिला/यूनिटों में इंस्टालेशन/स्थापित निशुल्क किया जाना आवश्यक है।

(ix) बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :–

पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141–2744289, ई–मेल sp.cstore.pmw@rajpolice.gov.in

पुलिस उप अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141–2744204, ई–मेल dysp.cstore.pmw@rajpolice.gov.in

24/11/17

(यशपाल त्रिपाठी)
पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय,
राजस्थान,जयपुर।